

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

रजिस्टर्ड

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (डीजीएस)/अलेसे-III/12600-12611

दिनांक :- 3-3-2014

आदेश संख्या 399/2013-14

श्री दीपक सक्सैना, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय राजसमंद को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर ने राजस्थान राज्य बनाम श्री दीपक सक्सैना को फौजदारी प्रकरण संख्या 01/2002 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2013 के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी)(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सिद्ध-दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री दीपक सक्सैना, कनिष्ठ लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण से दोषसिद्ध ठहराया गया है, ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री दीपक सक्सैना, कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से पदच्युत करते हैं/सेवा से हटाते हैं।

  
(वीरबाला जोशी)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (डीजीएस)/अलेसे-III/12600-611

दिनांक :- 3-3-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/विधि/7/2014/213-14 दिनांक 05.02.2014 के क्रम में।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, राजसमंद। (रजिस्टर्ड)
5. उपनिदेशक, अभियोजन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/डीपीसी शाखा।
7. संयुक्त निदेशक (विधि), कोष एवं लेखा।
8. श्री दीपक सक्सैना, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय राजसमंद। (रजिस्टर्ड)
9. विशेषाधिकारी, कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
10. निजी सहायक निदेशक महोदया।
11. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
12. श्री महेन्द्र कुमार गोयल, लेखाकार, कार्यालय हाजा।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)